



दिनांक: 03-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस ने 1,48,000/- (एक लाख अड़तालिस हजार रुपये) व अवैध असलहा/कार0 एवं फर्जी आईडी सहित अन्तर्राज्यीय ठगी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम के चलाये गये अभियान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी नागल निरीक्षक सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2023 की रात्री में नौजली मार्ग से बडौली की तरफ जा रही सडक पर चेकिंग करते हुए एक कार RITZ नं0 UP11AP2874 को रोकने का प्रयास किया गया तो गाडी में बैठे अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और भागने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर RITZ गाडी में सवार 03 अभियुक्तों 1.भावेश पटेल पुत्र लाल जी पटेल निवासी फ्लैट न0 01 बिल्डिंग न0 03 निकट स्वर्ण भूमि काम्प्लैक्स खारगर थाना खारगर जिला नवी मुम्बई महाराष्ट्र, 2.अब्दुल अव्वल पुत्र अब्दुल्ला निवासी ग्राम अमीलो थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ, 3.सिन्दू पुत्र हरदेव निवासी पिपरा थाना राम कृष्णानगर जिला पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्तगणों के कब्जे से क्रमशः भावेश पटेल उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तंमंचा 315 बोर मय एक खोका कारतूस व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए तथा अभियुक्त अब्दुल अव्वल के कब्जे से एक अदद तंमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। तथा अभियुक्त सिन्दू के कब्जे से एक अदद तंमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। तथा अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 54/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी गये 48000/- रुपये सहित अन्य जनपद लखनऊ में दो ठगी 50-50 हजार रुपये व जनपद सीतपुर से 20,000/- रुपये की ठगी करना जिसमें 20,000 रुपये खर्च हो जाना तथा पाँच अदद मोबाइल कुछ प्लास्टिक की पन्नी नीले रंग जिन पर HARSH ENTERPRISES लिखा है। तथा चार एटीएम कार्ड व तीन पैन कार्ड व एक ड्राईविंग लाईसेंस व एक वोटर आईडी कार्ड व कुछ लाईनदार सफेद कागज 2000/- रुपये के नोट के आकार के बरामद हुए। पुलिस मुठभेड व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 57/23 धारा 307 भादवि बनाम 1.भावेश पटेल, 2.अब्दुल अव्वल, 3.सिन्दू व मु0अ0सं0 58/23 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम भावेश पटेल व मु0अ0सं0 59/23 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम अब्दुल अव्वल व मु0अ0सं0 60/23 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम सिन्दू पंजीकृत किया गया। अभि0गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-उपरोक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणो मे गैंगलीडर भावेश पटेल उपरोक्त जो अपने अन्य दोनो साथी अब्दुल अक्विल व सिन्दू के साथ मिलकर महाराष्ट्र मे एकत्रित होकर अपनी रिट्ज गाडी से अपना जरूरी सामान लेकर राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड आदि राज्यों मे अपराध करने के उद्देश्य से चलकर बैंक के पास पहुँचकर अपनी गाडी को दूर खडी कर गैंग का एक सदस्य बैंक के अन्दर जाकर जो व्यक्ति पैसे जमा व निकलाने का फार्म भरता है। उसके टारगेट करते है। तथा गैंग के अन्य दो सदस्य बैंक मे जाकर पूर्व से तैयार किये हुए 2000/- के नोटो के आकार का सफेद कागज की चार लाँख की गडडी बनाकर उसके आगे दो-दो हजार के दोदो नोट असली लगाकर उस टारगेट को प्रलोभन देते है कि हम यह पैसा चोरी करके लाये है। और हमारा कोई एकाउन्ट नही है हम ये पैसा अपने खाते मे नही भेज सकते तुम इस पैसे को अपने पास रख लो और जो भी पैसे तुम्हारे पास है। यह हमे दे दो उसके पैसे ठगी करके चोरी कर लेते है।

अभियुक्तो का नाम व पता:-

- 1.भावेश पटेल पुत्र लाल जी पटेल निवासी फ्लैट नं0- 01 बिल्डिंग न0 03 निकट स्वर्ण भूमि काम्पलैक्स खारगर थाना खारगर जिला नवी मुम्बई महाराष्ट्र
- 2.अब्दुल अक्विल पुत्र अब्दुल्ला निवासी ग्राम अमीलो थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ
- 3.सिन्दू पुत्र हरदेव निवासी पिपरा थाना राम कृष्णानगर जिला पटना बिहार

बरामदगी माल:-

1. 03 तमंचे 315 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 01 खोखा कोरतूस
2. 05 मोबाइल फोन
3. कुछ प्लास्टिक की पन्नी नीले रंग जिन पर HARSH ENTERPRISES
4. कुछ लाईनदार सफेद कागज 2000/- रुपये के नोट के आकार के
5. 01 गाडी RITZ न0 UP11AP2874
6. 03 फर्जी नम्बर प्लेट UP32AT3547 व MH43AF7651 व UP20MA3284
7. 1,48,000/- रुपये नकद
8. फर्जी आधार/पैन कार्ड मय वोटर आईडी कार्ड व डीएल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
- 3.उ0नि0 श्री लोकेन्द्र दत्त शर्मा थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
- 5.है0का0 586 राजीव पवॉर थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2017 चिराग बैसला थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।
- 7.का0 2018 सन्दीप अधाना थाना नांगल जनपद सहारनपुर ।



प्रेस नोट0 दिनांक - 3.03.2023

थाना नानौतासहारनपुर , पुलिस ने0 2 बाल अपचारी को चोरी की 06
मोटरसाईकिल केसाथ किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व मे थाना नानौता पुलिस द्वारा 02बाल अपचारी को चोरी की 36 0सं0अ0मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु 06/ धारा 2023 411/414/420/पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्यवाही कर किशोर न्यायालय सहारनपुर के 0भादवि 465 या जा रहासमक्ष पेश किहै ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद मोटर साईकिल फर्जी नम्बर प्लेट रजि0 नं0 UP 12 BA 2592, इंजन नम्बर HA10AGKHGE7694, चेसिस नम्बर MBLHAW09XKHG40743 सम्बन्धित मु0अ0सं0 44/23 धारा 379 IPC थाना चरथावल मु0नगर
- 2- बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर मोटर साईकिल स्वलेंडर प्लस चेसिस नं0 MBLHAW111LHGA6874 व इंजन नं0 HA11 EVLHG 77686
- 3- बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर मो0सा0 बजाज काइनेटिक चेसिस नं0 DC50007784 इंजन नं0 DB50054626
- 4- बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर मोटर साईकिल हीरो स्वलेंडर प्लस चेसिस नं0 06B16C3749 इंजन नं0 06B15M3340
- 5- बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर मो0सा0 हीरो होण्डा स्वलेंडर प्लस चेसिस नं0 MBLHAR084HHL23054, इंजन नं0 HA10AGHHLB7043
- 6- बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस चेसिस नं0 MBLHA10AMEHD67217 इंजन नं0 HA1DEJEMD15411

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री शीतल कुमार शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. कां0 398 नरदेव थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. कां0 2336 गौरव थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. कां0 2171 नीरेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. कां0 2397 मनीष कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट दि० 03.03.23

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा वारण्टियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा दबिश देकर एक वारण्टी अभि० मोनू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम चक अबाबकपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 5349/21 धारा 147/323/336/506 भादवि थाना मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

मोनू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम चक अबाबकपुर नौगांवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर **पुलिस पार्टी –**

1. उ०नि० श्री सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. है०का० 498 आवेश राणा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर





प्रेस नोट दि० 03.03.2023

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का के साथ 01

अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा नशीले पदार्थों के विरुद्ध चैकिंग हेतु अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा टीम गठित की गयी तथा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **ताहिर पुत्र जहीर निवासी व थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुयी। अभियुक्त ताहिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०स० 31/23 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

ताहिर पुत्र जहीर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

पुलिस पार्टी –

1. व०उ०नि० सुनील कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ०नि० प्रमोद नैन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का० 1448 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर सपुर
4. का० 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर सपुर





प्रेस नोट दि० 03.03.2023

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 12 बोतल

देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा नशीले पदार्थों के विरुद्ध चैकिंग हेतु अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल बेहट जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार द्वारा टीम गठित की गयी। थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व तलाश वांछित व्यक्ति के दौरान 02 अभियुक्त **1. शाबिर पुत्र गुलजार 2. राकिब पुत्र इस्लाम निवासी गण ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। दोनो के कब्जे से अलग अलग 06 - 06 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुयी। अभि०गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०स० 32/23 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

1. शाबिर पुत्र गुलजार निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सपुर
2. राकिब पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सपुर

बरामदगी का विवरण -

1. कुल 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

पुलिस पार्टी -

1. व०उ०नि० सुनील कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ०नि० प्रमोद नैन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. का० 1448 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर सपुर
4. का० 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर सपुर





प्रेस नोट - दिनांक 03.03.2023

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस ने दहेज हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 285/2021 धारा- 498ए/328/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त **शहबाब उर्फ शादाब पुत्र अनवर नि० ग्राम मानकपुर सादात थाना चिलकाना स०पुर** को आज दिनांक 03.03.2023 को ग्राम मानकपुर सादात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता-

शहबाब उर्फ शादाब पुत्र अनवर नि० ग्राम मानकपुर सादात थाना चिलकाना स०पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ० नि० अशोक शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. का० 2071 मो० इस्लाम थाना चिलकाना सहारनपुर



प्रेस नोट दि० 03.03.23

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 05 ली० अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी श्री विनय कुमार आजाद द्वारा गठित टीम उ०नि० जसवीर सिंह मय का० 2215 ललित द्वारा दिनांक 03.03.23 को घाटहेडा आश्रम के पास से अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू उर्फ चना पुत्र कन्दुराम नि० ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को 05 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु०अ०सं० 48/23 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

1. राजकुमार उर्फ राजू उर्फ चना पुत्र कन्दुराम नि० ग्राम घाटहेडा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

बरामदगी

1. 05 लीटर अवैध शराब

पुलिस पार्टी –

1. प्र०नि० श्री विनय कुमार आजाद थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री जसवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. का० 2215 ललित थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक 03-03-2023

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने नाबालिग लडकी के अपहरण में नामजद अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत करना है कि दिनांक 09.10.2022 को वादी श्री धर्मपाल पुत्र पूर्ण निवासी चन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा थाने पर स्वयं की नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 352/22 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम मोनू पुत्र बाबूराम निवासी चन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पजीकृत कराया गया था। विवेचना उप0निरी0 महेशचन्द के सपूर्द की गयी थी। दिनांक 09.02.2023 को अपहर्ता को बरामद कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, बयानो के आधार पर धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री विनय कुमार आजाद द्वारा गठित टीम निरीक्षक श्री महेशचन्द उप0निरी0, का0 722 अजय कुमार द्वारा नामजद अभियुक्त मोनू को दिनांक 03.03.2023 को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोनू पुत्र बाबूराम निवासी चन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विनय कुमार आजाद प्र0निरी0 थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

2. उप0निरी0 श्री महेशचन्द थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

3. का0 722 अजय कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर



दिनांक: 03-03-2023

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों व लम्बित एनबीडब्लू / वारंटियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.03.2023 को 01 एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त **आरिफ पुत्र इरफान निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित सम्बन्धित वाद सं0 7315/18 माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर , मु0अ0सं0 337/15 धारा 366 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । वारंटी अभियुक्त आरिफ उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र इरफान निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 81 यतेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।